

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/WAM-21/5467-72 दिनांक 09/12/24

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना, जयपुर।
2. विकास आयुक्त, सी.ए.डी. कोटा/बीकानेर।
3. मुख्य अभियन्ता, जलसंसाधन विभाग, सिंचाई भवन, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एन.आर.डब्ल्यू), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।

विषय:- IFMS 3.0 के अन्तर्गत विकसित तकनीकी स्वीकृति प्रक्रिया के प्रशिक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत IFMS 3.0 में निर्माण विभागों में प्रयुक्त होने वाली ऑनलाईन तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने की प्रक्रिया तकनीकी स्वीकृति मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत विकसित की गई है। उक्त प्रक्रिया का दिनांक 03.09.2024 को सभी निर्माण विभागों हेतु डेमो प्रजेन्टेशन आयोजित किया जा चुका है। वित्त विभाग द्वारा उक्त नवीन प्रक्रिया को शीघ्र ही लागू किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परिपेक्ष्य में प्रत्येक निर्माण विभाग के चयनित 4 तकनीकी अधिकारियों/डोमेन एक्सपर्ट्स हेतु उक्त प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिनांक 12.12.2024 को निम्नानुसार आयोजित किया जा रहा है।

| क्र.सं. | विभाग का नाम | दिनांक एवं समय | प्रशिक्षण स्थल |
|---------|---------------------------------|----------------|---|
| 1. | सार्वजनिक निर्माण विभाग | 12.12.2024 | मीटिंग हॉल, एल.आई.सी. भवन, द्वितीय तल, (निधि भवन) हाईकोर्ट सर्किल, जयपुर। |
| 2. | इंदिरा गांधी नहर परियोजना | 11:00 AM to | |
| 3. | सी.ए.डी. बीकानेर/कोटा | 1:00 PM | |
| 4. | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | 12.12.2024 | |
| 5. | जल संसाधन विभाग | 3:00 PM to | |
| 6. | वन विभाग | 5:00 PM | |

अतः उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपके विभाग के उक्त कार्य से संबंधित 4 तकनीकी अधिकारियों/डोमेन एक्सपर्ट्स को उपस्थित होने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें।

भवदीय


(भूपेश माथुर)


निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/WAM- / 5473-75

दिनांक 09/12/24

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.) (WAM) एन.आई.सी., एल.आई.सी. भवन, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल), शासन सचिवालय, जयपुर को साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
3. प्रोजेक्ट मैनेजर, PWC टीम, एल.आई.सी. भवन, जयपुर को प्रेषित कर प्रशिक्षण की व्यवस्था किए जाने हेतु।


अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)